



2026: AHC: 24894

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 4510 वर्ष 2026

दीपक परिहार (दत्तक)याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: जय प्रकाश सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2-तहसीलदार (न्यायिक), तहसील-किरावली, जिला आगरा को वाद संख्या 5186 वर्ष 2024, कंप्यूटर वाद संख्या T202401010405186 को शीघ्रता से तय करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) को नोट करना उचित और उपयुक्त होगा, जो यह आदेश देता है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर, संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार सख्ती से समयबद्ध अवधि के भीतर उसका निस्तारण करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:

"(7). तहसीलदार नामान्तरण के निर्विवाद मामले को वाद के पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर और नामान्तरण के विवादित मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर संपन्न नहीं होती है, तो इसके कारणों को दर्ज किया जाएगा।"

5. उक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में और पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में, अधिकारियों को उक्त आवेदन पर विचार करने और कानून के अनुसार सख्ती से, उसके गुणों के आधार पर, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निस्तारित करने का निर्देश जारी किया जाता है, लेकिन बिना किसी अनावश्यक स्थगन के जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने पक्षों के तर्कों के गुणों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पांडिया, जे.)

4 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"